

मूल वाद में फाइनल डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़

प्रकरण संख्या 817/दावा/2010

तारीख दायरा 25/06/2010

पीठासीन अधिकारी :- उपखण्ड अधिकारी झालावाड़

उपस्थित

1. पूरणलाल पुत्र भंवरलाल जाति भील निवासी खण्डिया गांव तह0 झालरापाटन - वादी

बनाम

1. जयसिंह पुत्र भंवरलाल जाति भील निवासी झिरनिया तह0 झालरापाटन
2. रामप्रसाद पुत्र रामगोपाल जाति भील निवासी झिरनिया तह0 झालरापाटन
3. बापूलाल पुत्र देवीलाल जाति भील निवासी झिरनिया तह0 झालरापाटन
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 झालरापाटन

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत दारा 53-188-209 आर.टी.एक्ट

यह मुकद्मा वास्ते इन्फिसाल कण्ट्रै करुके उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ बटवालस मनीषा तिवारी आर.ए. एस. गिनजागिब करुके वकील वादी श्री गजोत्तम राज जीव व प्रतिवादी श्री प्रदीप वर्मा मुद्रालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :-

वाद वादनी मय खर्चा फाइनल डिक्री किया जाता है। मुताबिक बटवारा प्रस्ताव भूमिधारी तहसीलदार झालरापाटन ग्राम मृन्दावन पटवार गण्डल सलोतिषा तहसील झालरापाटन की खतौनी सं0-31 नई, व पुरानी 25 की किता 2 की 3 बीघा 6 बिस्वा में वादी का 13/40 हि0 भाग की वादी को खातेदार घोषित करने हेतु भूमिधारी तहसीलदार झालरापाटन से विभाजन पत्र प्राप्त होने पर निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

मुताबिक बटवारा प्रस्ताव तहसीलदार दफ्तरी उक्त आराजियात का बटवारा निम्नानुसार किया जाता है

नाम	खाता संख्या	खण्ड	रकबा	किस्म	लगान
पूरणलाल पुत्र भंवरलाल जाति भील निवासी खण्डिया गांव तह0 झालरापाटन हिस्सा 13/40	नया 31 पुराना 25	4/1	1.01	बाखनी चाहा	0.68
	कुल किता-	1	1.01	-	0.68

भूमिधारी तहसीलदार झालरापाटन बटवारा प्रस्ताव अनुसार वादनी का हिस्सा पृथक कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर वादी को मीके पर कब्जा रोकलया जावे।

निज- मुबलिंग - बाबत-खर्चा इस मुकद्दे के नव सूद दरारट - फीसदी सालाना आज की तारीख से पुलवादी तक - का बसबा मेरे दस्तखत के आज तारीख 23 माह 12 सन् 2019 को जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (संज०)

मुदाई	रूपये पैसे	मुद्रालय	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जौदावा		स्टाम्प बकालतनामा	
स्टाम्प बकालतनामा		स्टाम्प अर्जौ	
स्टाम्प पजह सबूत		महन्ताना वकील	
महन्ताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुताफरिफ	
मुताफरिफ			
मीजान			मीजान

